

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 188 सन 2017

अनवान :-

1. भूपसिंह पुत्र निकूराम जाति छिम्मा निवासी बडविराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

बनाम

वादी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

2. बलराम पुत्र निकूराम जाति छिम्मा निवासी बडविराना तहसील नोहर।
3. रूकमा पत्नी निकूराम जाति छिम्मा निवासी बडविराना तहसील नोहर।

असल प्रतिवादी

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री नरेन्द्र किशोर अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 25/09/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक 6 आरएमजी के खाता संख्या 53/55 की कुल 16.0730 हैक् भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2,3 के सयुक्त खाते में दर्ज है।

उक्त भूमि में वादी का नाम भूपसिंह, बलराम पि० नेकीराम दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम भूपसिंह, बलराम पि. निकूराम है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम भूपसिंह, बलराम पि. निकूराम है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र, भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम भूपसिंह, बलराम पि. निकूराम दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम भूपसिंह बलराम पि० नेकीराम दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केंसीसी, खाद बीज का ऋण, मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नहीं है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर भूपसिंह बलराम पि. नेकीराम के स्थान पर भूपसिंह, बलराम पि. निकूराम संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से परोकार राज उपस्थित होकर जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिलस किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 6 आरएमजी के खाता संख्या 53/55 की कुल 16.0730 हैक् भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2,3 के सयुक्त खाते में दर्ज है।

उक्त भूमि में वादी का नाम भूपसिंह, बलराम पि० नेकीराम दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम भूपसिंह, बलराम पि. निकूराम है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम भूपसिंह, बलराम पि. निकूराम है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र, भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नाम भूपसिंह , बलाराम पि. निकूराम दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम भूपसिंह बलाराम पि० नेकीराम दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नहीं है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

पैरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा चक 6 आरएमजी के खाता संख्या 53/55 की कुल 16.0730 हैक् भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के संयुक्त खाते में दर्ज है जिसमें वादी का नाम भूपसिंह, बलाराम पुत्र नेकीराम दर्ज है


वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय भूपसिंह , बलाराम पि० निकूराम के स्थान पर भूपसिंह बलाराम पुत्र नेकीराम दर्ज किया गया है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के गतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादी का नाम भूपसिंह , बलाराम पि० निकूराम दर्ज है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी का नाम भूपसिंह , बलाराम पि० निकूराम होना प्रतित होता है

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नहीं होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात , शपथ पत्र/पैरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है। वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत एवं पैरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नहीं होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 आरएमजी के खाता संख्या 53/55 की कुल 16.0730 हैक् में वादीगण का नाम भूपसिंह , बलाराम पुत्र नेकीराम अंकित है के स्थान पर भूपसिंह, बलाराम उर्फ बलाराम पुत्र निकूराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तर्तीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/09/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमोल्लाह)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :-

1. भूपसिंह पुत्र निकूराम जाति छिम्पा निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

वादी

बनाम

- 1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजरव नोहर ।

असल प्रतिवादी

2. बलराम पुत्र निकूराम जाति छिम्पा निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
3. रूकमा पत्नी निकूराम जाति छिम्पा निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 188 सन 2017 निर्णय दिनांक- 25/09/22

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता

वादीयागण एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 आरएमजी के खाता संख्या 53/55 की कुल 16.0730 हैक् में वादीगण का नाम भूपसिंह, बलाराम पुत्र नेकीराम अंकित है के स्थान पर भूपसिंह, बलराम उर्फ बलाराम पुत्र निकूराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/09/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिवक्ता (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)